न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

अपील / आरटीआई / 103 / 2020

दिनेशचन्द पुत्र विशनसिंह ,निवासी ब्रहम्मबाद तहसील बयाना जिला भरतपुर ।

बनाम

तहसीलदार,बयाना ।

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश

दिनांक 11.01.2021

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट दिनेशचन्द पुत्र विशनसिंह, निवासी ब्रहम्मबाद तहसील बयाना जिला भरतपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जरिये प्रार्थना पत्र दिनांक 12.11.2020 तहसीलदार, बयाना से सूचना चाही गई थी। तहसीलदार,बयाना द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। इस कार्यालय के पत्र कमांक / कोर्ट / 849 दिनांक 22.12.2020 के द्वारा तहसीलदार,बयाना से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बावत रिपोर्ट तलब की गई। इस संबध में तहसीलदार,बयाना से उनके पत्र कमांक / 96 दिनांक 08.01.2021 के द्वारा जबाब प्राप्त हुआ जो शामिल मिसिल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील में कथन किया है कि आरटीआई के तहत चाही गई सूचनाऐं तहसीलदार,बयाना ने उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। अपीलान्ट ने तहसीलदार,बयाना से सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने की प्रार्थना की है। तहसीलदार,बयाना से प्राप्त जबाब पत्र कमांक 96 दिनांक 08.01.2021 का अवलोकन किया गया। पत्र के अवलोकन से यह जाहिर है कि अपीलार्थी को समस्त सूचनाऐं उपलब्ध करा दी गई हैं। तहसीलदार,बयाना ने अपने जबाब की ताईद में पत्र कमांक 5550 दिनांक 14.12.2020 की प्रति भी भिजवाई गई है। रेस्पो. ने अपीलांट को वांछित सूचनाऐं उपलब्ध करा दी हैं।

अस्तु अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी को (तहसीलदार,बयाना से प्राप्त पत्रादि की प्र[illegible] कर) प्रेषित की जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार,बयाना को [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Nathmal Didel
Date: 2021.02.26 16:03:25 IST
Reason: SelfAttested

(नथमल डिडेल)
जिला कलक्टर
भरतपुर